

कार्यालय जिला कलक्टर (रसद) जयपुर

क्रमांक-रसद/एफपीएस/विज्ञप्ति/2026/138

दिनांक:- 20-1-26

विज्ञप्ति

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग राजस्थान जयपुर द्वारा उचित मूल्य दुकानोंके आवंटन हेतु जारी दिशा-निर्देश दिनांक 17.03.2016 एवं उचित मूल्य दुकानों की नियुक्ति में आरक्षण व्यवस्था लागू करने से सम्बन्धित दिशा-निर्देश दिनांक 25.11.2020 की पालना में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 के खण्ड 3(1) के अन्तर्गत प्राधिकार पत्र जारी किये जाने हेतु विधानसभा क्षेत्र चौमूं एवं आमेर के क्षेत्राधिकार में कार्यालय जिला रसद अधिकारी जयपुर द्वितीय की नवसृजित 16 उचित मूल्य दुकानों के लिए इच्छुक पात्र आवेदक/ संस्था से आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं।

नवसृजित उचित मूल्य दुकानों का विवरण निम्नानुसार है-

क्र. सं.	विधानसभा क्षेत्र	तहसील	ग्राम पंचायत/नगर पालिका	ग्राम/ नवसृजित होने वाली उचित मूल्य दुकान हेतु चयनित स्थान	आरक्षित/ सामान्य
1	चौमूं	चौमूं	हाडौता	अंजनी हनुमान मंदिर के पास	सामान्य
2		चौमूं	कालाडेरा	दूतों की ढाणी	सामान्य
3		चौमूं	आलीसर	कुमावतों की ढाणी	महिला आरक्षित
4		चौमूं	मण्डा-भिण्डा	मीणों की ढाणी	सामान्य
5		चौमूं	अनन्तपुरा	बड़कोलाई की ढाणी	सामान्य
6		चौमूं	मोरीजा	खातियों की ढाणी	सामान्य
7		चौमूं	कुशलपुरा	बांसा खाल्डा	महिला आरक्षित
8		चौमूं	भोपावास	आतेरा माता के पास	सामान्य
9		चौमूं	डोला का बास	तोफान मीणा की ढाणी	महिला आरक्षित
10		चौमूं	वार्ड नं. 02 कुमावतों की ढाणी, शिव नगर हस्तेड़ा	कुमावतों की ढाणी, शिवनगर हस्तेड़ा	सामान्य
11	आमेर	जालसू	बुगालिया	बुगालिया	सामान्य
12		रामपुरा डाबड़ी	भट्टों की गली,	आकेड़ा चौड़,	सामान्य
13		रामपुरा डाबड़ी	गोविन्दपुरा	महेशपुरा	सामान्य
14		रामपुरा डाबड़ी	राजावास	राजारामपुरा	महिला आरक्षित
15		आमेर	बीलपुर	बीलपुर	महिला आरक्षित
16		आमेर	कांट	कालवाड़	सामान्य

1. आवेदन पत्र से सम्बन्धित सामान्य निर्देश :-

- आवेदन पत्र दिनांक 21.01.2026 से 27.02.2026 तक प्रत्येक कार्यदिवस में कार्यालय समय प्रातः 09:30 बजे से सायं 05:00 बजे तक कार्यालय जिला रसद अधिकारी जयपुर द्वितीय के कमरा नम्बर 46 से प्राप्त किए जा सकेंगे।
- आवेदन पत्र भरने के पश्चात् दिनांक 04.03.2026 से 19.03.2026 तक प्रत्येक कार्यदिवस में कार्यालय समय प्रातः 09:30 बजे से सायं 06:00 बजे तक कार्यालय जिला रसद अधिकारी जयपुर द्वितीय के कमरा नम्बर 36 में जमा करवाये जा सकेंगे।
- कार्यालय जिला रसद अधिकारी जयपुर द्वितीय से प्राप्त किया गया आवेदन पत्र (निर्धारित प्रपत्र में) छायाचित्र सहित ही स्वीकार किया जा सकेगा। अन्य किसी माध्यम यथा ई-मित्र, टाईपिस्ट, नोटेरी बुक स्टोर से प्राप्त किये गये आवेदन पत्र कार्यालय द्वारा स्वीकार नहीं किया जावेगा।

- iv. आवेदनकर्ता द्वारा अपना छाया चित्र आवेदन पत्र में अंकित स्थान पर चस्पा कर तथा चार छाया चित्र पृथक से आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
- v. आवेदन पत्र का मूल्य 100/-रुपये निर्धारित है।
- vi. आवेदन पत्र कार्यालय जिला रसद अधिकारी जयपुर द्वितीय से निर्धारित शुल्क का डीडी अथवा भारतीय पोस्टल आर्डर जमा कराया जाकर ही प्राप्त किये जा सकेंगे।
- vii. पूर्व के प्राप्त किये गये आवेदन पत्रों पर किसी प्रकार का कोई विचार नहीं किया जावेगा ना ही जमा किये जावेगे।

## 2. उचित मूल्य दुकान आवंटन हेतु अर्हताएँ :-

- i. शहरी क्षेत्र की उचित मूल्य की दुकान हेतु आवेदक उसी वार्ड का निवासी होना चाहिये जिस वार्ड के उपभोक्ताओं को राशन सामग्री वितरित की जानी है अर्थात् आवेदक का उस उचित मूल्य दुकान की अधिकारिता क्षेत्र में स्थित वार्डों में से किसी एक वार्ड का निवासी होना चाहिये।
- ii. ग्रामीण क्षेत्र की उचित मूल्य दुकान के सम्बन्ध में आवेदक का उसी ग्राम पंचायत के किसी भी ग्राम या वार्ड का निवासी होना आवश्यक है, जिस ग्राम पंचायत में उचित मूल्य दुकान स्थित है। एक से अधिक योग्य आवेदन पत्र प्राप्त होने की स्थिति में वरीयता उसी वार्ड के निवासी को दी जावेगी जिसमें उचित मूल्य की दुकान स्थित है।
- iii. आवेदक द्वारा निवास स्थान के प्रमाण के रूप में सम्बन्धित भाग संख्या की मतदाता सूची की सत्यापित प्रतिलिपि, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी पहचान पत्र की स्वप्रमाणित प्रति, आधार कार्ड, जनाधार कार्ड, ड्राईविंग लाईसेन्स की स्वप्रमाणित प्रति में से कोई एक दस्तावेज प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।
- iv. उचित मूल्य दुकान हेतु सभी श्रेणी के आवेदकों की आयु 21 से 45 वर्ष होनी चाहिये अर्थात् उचित मूल्य दुकान हेतु आवेदन पत्र प्राप्त करने की अन्तिम तिथि को आवेदक की आयु 21 वर्ष से कम तथा 45 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिये। आवेदक द्वारा आयु के सम्बन्ध में सेकेण्डरी परीक्षा की अंक तालिका, सम्बन्धित भाग संख्या की मतदाता सूची की सत्यापित प्रतिलिपि, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी पहचान पत्र की स्वप्रमाणित प्रति, आधार कार्ड, जनाधार कार्ड, ड्राईविंग लाईसेन्स की स्वप्रमाणित प्रति में से कोई एक दस्तावेज प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।
- v. आवेदक की शैक्षणिक योग्यता स्नातक एवं कम्प्यूटर में Rajasthan Knowledge Corporation Limited (RKCL) अथवा अन्य समकक्ष सरकारी संस्थान का तीन माह का आधारभूत प्रशिक्षण प्राप्त होना चाहिये। यदि उचित मूल्य दुकानों के आवेदकों में कोई भी आवेदक स्नातक स्तर की शैक्षणिक योग्यता नहीं रखता है, तो ऐसी स्थिति में 12वीं कक्षा उत्तीर्ण आवेदकों के प्रार्थना-पत्रों को भी आवंटन हेतु स्वीकार किया जा सकेगा। यदि आवेदक कम्प्यूटर में प्रशिक्षण प्राप्त नहीं है तो आवेदक द्वारा आवेदन पत्र के साथ यह शपथ पत्र दिया जाना अनिवार्य होगा कि वह चयनित होने के 06 माह की अवधि में ऐसा प्रशिक्षण प्राप्त कर लेगा व ऐसे चयनित व्यक्तियों को प्रशिक्षण प्राप्ति के पश्चात् ही प्राधिकार पत्र दिया जावेगा। आवेदक समितियाँ/समूह निकाय होने पर सम्बन्धित अध्यक्ष/सचिव/प्रबन्धक को कम्प्यूटर दक्षता एवं शैक्षणिक योग्यताओं को पूर्ण करना अनिवार्य होगा तथा इस बाबत प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।
- vi. आवेदक को अन्नपूर्णा भण्डार हेतु राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मापदण्ड पूर्ण करने आवश्यक होंगे। यदि आवेदक पूर्व से ही अन्नपूर्णा भण्डार के मापदण्डों को पूर्ण करता है तो उसकी पुष्टि में आवेदक को दुकान का नक्शा, स्वामित्व, किरायानामा आदि से सम्बन्धित दस्तावेज प्रस्तुत करने आवश्यक होंगे। आवेदन करते समय यदि आवेदक अन्नपूर्णा भण्डार के मापदण्डों को पूर्ण नहीं करते हैं तो उन्हें छः माह में मापदण्ड पूर्ण किये जाने का घोषणा पत्र प्रस्तुत करना होगा। मापदण्ड पूर्णता अवधि विशेष परिस्थितियों में ही राज्य सरकार/जिला कलक्टर द्वारा अधिकतम छः माह तक बढ़ायी जा सकेगी। यदि घोषणा पत्र के अनुसार प्राधिकृत होने पर मापदण्ड पूर्ण नहीं किये जाते हैं, तो प्राधिकार पत्र निरस्त किया जा सकेगा।
- vii. आवेदक को आवेदन पत्र में अंकित घोषणाओं के सम्बन्ध में 50/- रुपये के स्टाम्प पर नोटरी से सत्यापित शपथ पत्र देना होगा।
- viii. उचित मूल्य दुकान हेतु आवेदन करने वाले पुरुष/महिला के दिनांक 01.01.2015 के बाद जन्म लेने वाली सन्तान सहित दो से अधिक सन्तान नहीं होनी चाहिये। दिनांक 01.01.2015 के पश्चात् दो से अधिक संतान होने की स्थिति में व्यक्ति आवेदन का पात्र नहीं होगा। उचित मूल्य दुकान आवंटन होने के पश्चात् यदि किसी उचित मूल्य दुकानदार के तीसरी सन्तान का जन्म होता है तो ऐसे उचित मूल्य दुकानदार का प्राधिकार पत्र निरस्तनीय होगा परन्तु किसी आवेदक के दिनांक 31.12.2014 को एक ही सन्तान है तथा पश्चात्वर्ती एकल प्रसव से एक से अधिक सन्तान जन्म लेती है तो सन्तान की गणना करते समय इस प्रकार एक प्रसव से जन्म लेने वाली सन्तानों को एक ही इकाई समझा जावे।
- ix. आवेदक द्वारा प्रस्तावित दुकान का नक्शा साइट प्लान तथा रूट प्लान के साथ सही माप में दर्शा कर तीन प्रति में स्वप्रमाणित करके प्रस्तुत किया जावेगा। नक्शे में प्रस्तावित दुकान के आगे-पीछे व दायें-बायें स्थित भवनों/स्थानों/भूमि/सड़क का स्पष्ट विवरण दिशा ज्ञान के साथ अंकित किया जावेगा। प्रस्तावित दुकान किराये की होने पर अनुबन्ध की प्रति/स्वयं की होने पर पट्टे की प्रति स्वप्रमाणित कर संलग्न की जावे। उचित मूल्य दुकान केन्द्रीय स्थल पर स्थित होनी चाहिये ताकि उपभोक्ता उचित मूल्य दुकान पर आसानी से पहुँच सकें। प्रस्तावित उचित मूल्य दुकान सुरक्षा एवं यातायात के साधन के दृष्टिकोण से उचित स्थान पर होनी चाहिये। आवेदक को दुकान आवंटन के बाद जिस वितरण स्थल पर वितरण हेतु अधिकृत किया जावेगा, वह स्थान कम से कम 30 फीट रोड़ पर स्थित होना चाहिये तथा उस स्थान का न्यूनतम क्षेत्रफल

10x20 अर्थात् 200 वर्गफीट होना आवश्यक है। आवेदक द्वारा वितरण स्थल के तीन ब्लूप्रिंट नक्शे आवेदन पत्र के साथ संलग्न करने आवश्यक है। आवेदक द्वारा अन्नपूर्णा भण्डार हेतु राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मापदण्ड पूर्ण करने आवश्यक है। यदि आवेदक पूर्व से ही अन्नपूर्णा भण्डार के मापदण्डों को पूर्ण करता है, तो उसकी पुष्टि में दुकान का नक्शा, स्वामित्व, किरायानामा आदि से सम्बन्धित दस्तावेज प्रस्तुत करने आवश्यक होंगे।

- x. आवेदक द्वारा आवेदन पत्र के साथ सम्बन्धित तहसीलदार द्वारा जारी किया गया न्यूनतम 1,00,000/-रुपये का हैसियत प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। हैसियत प्रमाण पत्र मूल ही प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। हैसियत प्रमाणपत्र छः माह से अधिक पुराना होने पर मान्य नहीं होगा।
- xi. महिला स्वयं सहायता समूह के लिये कार्यक्रम अधिकारी, महिला अधिकारिता की अभिशंषा सहित समूह की वित्तीय हैसियत न्यूनतम 25,000/-रुपये होना आवश्यक होगा।
- xii. समिति, जो कि सहकारी अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत है, को, हैसियत प्रमाण पत्र के स्थान पर समूह की वित्तीय हैसियत के सम्बन्ध में उनकी अंशपूँजी का विवरण, कार्यशील पूँजी का विवरण, वार्षिक कुल राशि का विवरण एवं विगत दो वित्तीय वर्ष एवं चालू वर्ष के बैंक खाते के स्टेटमेंट की प्रति मय सहायक पंजीयक/उप पंजीयक की यह अभिशंषा संलग्न करनी होगी कि समिति के वित्तीय हैसियत 1,00,000/-रुपये है और समिति की विगत तीन संपरीक्षा (ऑडिट रिपोर्ट) में गम्भीर अनियमितता नहीं है।
- xiii. आवेदक द्वारा निम्न बिन्दुओं को अंकित करते हुये एक घोषणा पत्र दिया जावेगा:-  
(क) आवेदकको पूर्व में आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत दण्डित नहीं किया गया है।  
(ख) आवेदकके स्वयं के द्वारा ही उचित मूल्य दुकान का संचालन किया जावेगा।  
(ग) आवेदक के परिवार में किसी सदस्य यथा, माता-पिता, पुत्र एवं अविवाहित पुत्री के नाम से पूर्व में कोई उचित मूल्य दुकान आवंटित नहीं है।  
(घ) आवेदक को विधिक रूप से अयोग्य घोषित नहीं किया गया है।  
(ङ) आवेदक बालिग एवं स्वस्थचित्त है. चाल-चलन अच्छा है तथा आवेदक को कभी दिवालिया घोषित नहीं किया गया है।  
(च) आवेदक के दिनांक 01.01.2015 के बाद जन्म लेने वाली सन्तान सहित दो से अधिक सन्तान नहीं है।
- xiv. आवेदन पत्र में आवेदक द्वारा दी गयी सूचनाएँ गलत पाये जाने पर आवंटन रद्द करने का अधिकार सक्षम अधिकारी को होगा।
- xv. नवसृजित उचित मूल्य दुकानों में कमी/बढ़ोतरी/संशोधन कार्यालय द्वारा किया जा सकता है तथा रिक्तियों को भरने एवं नहीं भरने का निर्णय अन्तिम होगा।
- xvi. नवसृजित उचित मूल्य दुकानों हेतु आवेदन निर्धारित अवधि में पूर्ण दस्तावेजों सहित आवेदक को कार्यालय में जमा करवाने होंगे। पूर्व में जारी विज्ञप्ति के तहत जमा आवेदन पत्र मान्य नहीं है।
- xvii. दिव्यांगजन को आवेदन पत्र के साथ चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग का प्रमाण पत्र/समाज कल्याण विभाग का प्रमाण पत्र,शहीद की वीरांगना को सेना द्वारा जारी प्रमाण पत्र,विधवा एवं परित्यक्ता को सम्बन्धित विभाग का प्रमाण पत्र, भूतपूर्व सैनिक को सेना से सेवामुक्त होने का प्रमाण पत्र तथा शिक्षित बेरोजगार को जिला रोजगार अधिकारी का पंजीकरण प्रमाण पत्र की प्रति संलग्न करनी आवश्यक होगी।
- xviii. आवेदक को आवेदन पत्र के साथ दो राजपत्रित आधिकारियों द्वारा जारी चरित्र प्रमाण पत्र संलग्न करना आवश्यक होगा।
- xix. आवेदक/संस्था के पदाधिकारी (महिला स्वयं सहायता समूह/ग्राम सेवा सहकारी समिति/लैम्पस/दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति के सम्बन्ध में) को उसके घर में कार्यशील शौचालय (Functional toilet) होने के सम्बन्ध में अण्डरटेकिंग प्रस्तुत करनी होगी। उक्त प्रावधान उचित मूल्य दुकान आवंटन के लिये अनिवार्य अर्हता होगी।

### 3. चयन प्रक्रिया एवं प्राथमिकता :-

आवंटन सलाहकार समिति द्वारा प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार किया जाकर अपनी अभिशंषा जिला कलक्टर को प्रस्तुत की जावेगी। आवंटन सलाहकार समिति द्वारा साक्षात्कार के समय आवेदक के चयन में प्राथमिकता क्रम निम्नानुसार रहेगा :-

(क) प्रथम वरीयता (संस्थागत) के अन्तर्गत निम्नलिखित प्राथमिकता क्रम के आधार पर चयन किया जावेगा :-

- i. ग्राम सेवा सहकारी समिति/लैम्पस (वृहत्तर क्षेत्रीय बहुउद्देशीय सहकारी समिति)/दुग्ध उत्पादन सहकारी समिति, जो कि सहकारी अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत है।
- ii. महिला स्वयं सहायता समूह जो कि राज्य सरकार के महिला अधिकारिता विभाग से चयनित अथवा मान्यता प्राप्त है। आवेदक महिला स्वयं सहायता समूह को तीन वर्ष का कार्य अनुभव होना चाहिये।
- iii. ग्राम पंचायत/निगमित निकाय

नोट:-आवेदक/समितियाँ/समूह/निकाय होने पर सम्बन्धित सचिव/प्रबन्धक को कम्प्यूटर दक्षता एवं शैक्षणिक योग्यताओं को पूर्ण करना अनिवार्य होगा तथा इस बाबत प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।

विशेष:-1. यदि विज्ञापन जारी किये जाने के पश्चात् क्रम संख्या 1,2 व 3 के अन्तर्गत एक ही आवेदन प्राप्त होता है तो उसको प्राधिकार पत्र जारी किया जावेगा। इस श्रेणी के दो अथवा दो से अधिक आवेदन प्राप्त होने पर आवंटन हेतु निर्धारित प्रक्रिया अपनायी जावेगी।

2. महिला स्वयं सहायता समूह के अनुभव के आंकलन के सम्बन्ध में निम्न आधार होंगे :-

(क) समूह का गठन कम से कम तीन वर्ष पूर्व का हो।

(ख) समूह का कम से कम तीन वर्ष पूर्व बैंक में खाता खुला हो।

(ग) समूह के सदस्य तीन वर्ष से आन्तरिक लेन-देन में संलग्न हो।

(ख) द्वितीय वरीयता(व्यक्तिगत) के अन्तर्गत प्रथम वरीयता में आवेदन उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में ही निम्नलिखितप्राथमिकता क्रम के आधार पर चयन किया जावेगा :-

i. सामान्य श्रेणी

- (क) दिव्यांग(बेरोजगार)
- (ख) भूतपूर्व सैनिक(बेरोजगार)
- (ग) अन्य पात्र (बेरोजगार)

ii. महिला आरक्षित

- (क) दिव्यांग महिला (बेरोजगार)
- (ख) शहीद की विधवा वीरांगना (बेरोजगार)
- (ग) विधवा(बेरोजगार)
- (घ)परित्यक्ता(बेरोजगार)
- (ङ) भूतपूर्व सैनिक महिला(बेरोजगार)
- (च) अन्य पात्र महिला (बेरोजगार)



(डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी)  
जिला कलक्टर रसद  
जयपुर

क्रमांक:-रसद/एफपीएस/विज्ञप्ति/2026/139-148  
प्रतिलिपि:- निम्नांकित को आवश्यक कार्यवाही हेतु पेषित है:-

दिनांक:- 20-1-26

1. विशिष्ट सहायक मंत्री महोदय, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग राजस्थान जयपुर।
2. निजी सचिव, सांसद महोदय जयपुर शहर/जयपुर ग्रामीण।
3. निजी सचिव, समस्त विधायकगण जिला जयपुर।
4. निजी सचिव, श्रीमान् प्रमुख शासन सचिव महोदय, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग राजस्थान जयपुर।
5. आयुक्त, नगर निगम जयपुर हैरिटेज/ग्रेटर।
6. अतिरिक्त खाद्य आयुक्त, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग राजस्थान जयपुर।
7. उपायुक्त एवं उपशासन सचिव खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग राजस्थान जयपुर।
8. उपखण्ड अधिकारी समस्त जिला जयपुर।
9. उप निदेशक, सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग राजस्थान जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त विज्ञप्ति को विभाग की वेबसाइट [food.raj.nic.in](http://food.raj.nic.in) अपलोड करावें।
10. सहायक निदेशक, जिला जनसम्पर्क कार्यालय जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त विज्ञप्ति का स्थानीय समाचार पत्रों में निःशुल्क प्रकाशन करावें।
11. संस्थापन प्रभारी विज्ञप्ति नोटिस बोर्ड पर चरसा करावें।
12. रक्षित पत्रावली।



जिला कलक्टर रसद  
जयपुर